कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

–: प्रारंभिक अधिसूचना :–

क्रमांक2560/2017012004000016/अ–82/2016–17 कोण्डागांव, दिनांक23/08/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से लेकर खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की ,उप धारा–1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

–: अनुसूची :–

भूमि का विवरण						धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.)	प्रभावित रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
कोण्डागांव	बडेराजपुर	विश्रामपुरी /03	367/3 क 367/2 ग 367/3 ख 367/2 घ	0.486 0.168 0.526 0.155	0.056 0.040 0.153 0.052	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी केशकाल	विश्रामपुरी –रावनागुड़ मार्ग के कि.मी. 4/2 गरांजीडिह नाला पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण
योग :–			04	1.335	0.301		

2- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धा के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अप द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप-धारा (के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ए भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

4- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का आवास परियोजना क्षेत्र में आ जाने के कारण उनका विस्थापन किया जाना प्रस्तावित हैं ।

अथवा

प्रस्तावित भू-अर्जन से 0 प्रभावित परिवारों का आवास परियोजना क्षेत्र में आ जाने के कारण उनका विस्थापन किया जाना प्रस्तावित हैं ।

5- प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग के अधिसूचना कं. एफ 4-28/सात-1/2014, दिनांक 02.03.2015 के द्वा अधिनियम, 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों छूट प्रदान की गई हैं।

अथवा

प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भू अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है

6- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागी अधिकारी (राजस्व) केशकाल, जिला-कोण्डागांव को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशास नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दीपक सोनी)
कलेक्टर जिला-कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग